



**हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़** के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 28.06.2025 को **आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-**

#### **01.थाना रौनापार: छेड़खानी में वांछित एक हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार**

##### **पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –**

अवगत कराना है कि वादिनी थाना रौनापार आजमगढ़ लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर कि दिनांक 26.06.25 को समय करीब 10.30 बजे रात्रि में अब्दुला पुत्र अज्ञात निवासी चाँदपट्टी थाना रौनापार आजमगढ़ द्वारा वादिनी के घर में घुस कर छेड़खानी करते हुए मारपीट की गयी तथा जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर दिनांक 27.06.25 को मु0अ0सं0 252/25 धारा 76,115(2),352,351(3),333 बी.ए.एस बनाम अब्दुल्ला पुत्र अज्ञात निवासी चाँदपट्टी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

##### **गिरफ्तारी का विवरण –**

दिनांक- 28.06.2025 को उ0नि0 श्री प्रशान्त पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित हिस्ट्रीशीटर अपराधी अब्दुल्ला पुत्र शमसुद्दीन निवासी चाँदपट्टी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 29 वर्ष को ग्राम भीखपट्टी पोखरे के पास से समय करीब 07.10 बजे अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

##### **पंजीकृत अभियोग--**

1-मु0अ0सं0 252/25 धारा 76,115(2),352,351(3),333 बी.ए.एस थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

##### **आपराधिक इतिहास- HS NO- 20A**

1. मु0अ0सं0 14/2019 धारा 3/5/8 गोवध नि0अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 131/2017 धारा 3/5/8 गोवध नि0अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना चिरईया कोट जनपद मऊ
3. मु0अ0सं0 408/2014 धारा 11डी पशु क्रुरता अधि0 थाना चिरईया कोट जनपद मऊ
4. मु0अ0सं0 565/2015 धारा 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना मुहम्मादाबाद जनपद मऊ
5. मु0अ0सं0 179/2017 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना चिरईया कोट जनपद मऊ
6. मु0अ0सं0 87/2014 धारा 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
7. मु0अ0सं0 252/25 धारा 76,115(2),352,351(3),333 बी.ए.एस. थाना रौनापार आजमगढ़
8. मु0अ0सं0 94/20 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
9. मु0अ0सं0 191/24 धारा 323,504,506 भादवि व 3(1)द,3(1)ध,3(2)क एसटी/एससी एक्ट थाना रौनापार आजमगढ़
10. मु0अ0सं0 252/25 धारा 76,115(2),352,351(3),333 बी.ए.एस थाना रौनापार,आजमगढ़

##### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

1- हिस्ट्रीशीटर /अभियुक्त अब्दुल्ला पुत्र शमसुद्दीन निवासी चाँदपट्टी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 29 वर्ष।

##### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 प्रशान्त पाण्डेय थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. का0 सुमित कुमार यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
3. का0 राजकुमार गौड़ थाना रौनापार जनपद आजमगढ़



**\*02.थाना- महाराजगंज: गैर-इरादतन हत्या में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।\***

**\*पूर्व की घटना/इतिहास-\***

अवगत कराना है कि दिनांक 06.06.2025 को वादी अमरजीत मिश्रा s/0 रामपति मिश्रा ग्राम-नरोत्तमपुर(सूर्यमन) कोतवाली महाराजगंज जनपद-आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि आवेदक के लड़के शनि मिश्रा चोटिल हालत में खेत में मिला डाक्टर द्वारा आवेदक के लड़के को मृत बताया गया आवेदक को आशंका थी कि आवेदक के लड़के की हत्या कर दी गई है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 169/25 धारा 105 बीएनएस बनाम अज्ञात के पंजीकृत हुआ। जिसकी विवेचना व0उ0नि0 कैलाश सिंह यादव द्वारा सम्पादित की जा रही है दौरान विवेचना व साक्ष्य संकलन से अभियुक्त 1. राकेश यादव पुत्र रामवदन यादव 2. सिद्धार्थ यादव उर्फ गोलू पुत्र रामवदन यादव निवासीगण ग्राम विशुनपुर (राठी का पुरा) थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में लाया गया।

**\*गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-\***

दिनांक 28.06.2025 को व0उ0नि0 कैलाश सिंह यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1. राकेश यादव पुत्र रामवदन यादव 2. सिद्धार्थ यादव उर्फ गोलू पुत्र रामवदन यादव निवासीगण ग्राम विशुनपुर (राठी का पुरा) थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ को देवनपुर पेट्रोल पम्प के पास से दिनांक 28.06.2025 को समय 06.30 बजे सुबह में हिरासत पुलिस में नियमानुसार लेकर चालान माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-\***

1. राकेश यादव पुत्र रामवदन यादव
2. सिद्धार्थ यादव उर्फ गोलू पुत्र रामवदन यादव निवासीगण ग्राम विशुनपुर (राठी का पुरा) थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

**\*पंजीकृत अभियोग-\***

1- मु0अ0सं0 169/25 धारा 105 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

**\*गिरफ्तारी में लेने वाली टीम-\***

1-प्र0नि0 विनय कुमार मिश्र के नेतृत्व में व0उ0नि0 कैलाश सिंह यादव मय हमराह का0 अमनराज विश्वकर्मा



**\*03.थाना- कन्धरापुर: अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार।\***

**\*गिरफ्तारी का विवरण/घटना का विवरण-\***

आज दिनांक 28.06.25 को व0उ0नि0 रमेश कुमार, उ0नि0 जावेद अख्तर, उप0नि0 लाल सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान गदनपुर हिच्छनपट्टी जाने वाले नहर या रास्ते पर पुलिया के पास से एक व्यक्ति पवन चौहान उर्फ विशाल चौहान पुत्र मटरू चौहान निवासी मेहमोनी थाना कप्तानगंज जिला आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष को . एक अदद नाजायज देशी तमंचा .315 बोर व 01अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व नगद कैश 4150/- रूपया के साथ समय 03.37 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

**\*गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण:-\***

1-पवन चौहान उर्फ विशाल चौहान पुत्र मटरू चौहान निवासी मेहमोनी थाना कप्तानगंज जिला आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष।

**\*बरामदगी का विवरण:-\***

1. एक अदद नाजायज देशी तमंचा .315 बोर व 01अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर सम्बन्धित मु0अ0सं0 194/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट. थाना कन्धरापुर आजमगढ़।
2. नगद कैश 4150/- रूपया सम्बन्धित मु0अ0सं0 152/2025 धारा 305/317(2) BNS थाना कोतवाली आजमगढ़

**\*पंजीकृत अभियोग-\***

1-मु0अ0सं0 194/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर, आजमगढ़।

**\*आपराधिक इतिहास-\***

**\*अभियुक्त पवन चौहान उर्फ विशाल चौहान पुत्र मटरू चौहान निवासी मेहमोनी थाना कप्तानगंज जिला आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष\***

क्र0सं0 मु0अ0सं0 धारा थाना/ जनपद

1. 06/2020 380/411/457 भादवि कप्तानगंज आजमगढ़।

2. 240/22 3(1)उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट. कप्तानगंज आजमगढ़ ।
3. 89/2024 3/25 आर्म्स एक्ट कप्तानगंज आजमगढ़ ।
4. 152/25 305/317(2) बीएनएस कोतवाली आजमगढ़ ।
5. 194/25 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर आजमगढ़ ।

**\*गिरफ्तारी करने वाली टीम-\***

1. व0उ0नि0 रमेश कुमार 2. उ0नि0 जावेद अख्तर 3. उ0नि0 लाल सिंह 4. हे0का0 सुरेन्द्र शर्मा 5. का0 जितेन्द्र सिंह 6. का0 रामशरन यादव 7. का0 सोनू कुमार थाना कन्धरापुर, आजमगढ़।



**\*04.थाना- जीयनपुर: चोरी की बाइक के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार।\***

**\*पूर्व की घटना/इतिहास-\***

दिनांक 27.06.2025 को आवेदक वृजेश शर्मा पुत्र फूलचन्द्र शर्मा निवासी रामपुर पोस्ट अमुवारी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर प्रार्थना पत्र दिये की दिनांक 28.05.2025 को अपनी मोटरसाइकिल पैशन प्रो UP 50 Z xxxx प्राचीन शिव मन्दिर जीयनपुर के सामने गाडी खडी कर सामान लेने गया था कुछ समय बाद वापस आया तो वहा पर मेरी मोटरसाइकिल नही थी अपने गाडी कि काफी खोजबीन करता रहा जब मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी नही मिल सकी तो दिनांक 27/06/25 थाना पर प्रार्थना पत्र दिया के सम्बन्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 241/2025 धारा 303(2) BNS बनाम अज्ञात चोर के पंजीकृत हुआ जिसकी उ0नि0अमित कुमार वर्मा द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना के क्रम मे

**\*गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-\***

दिनांक 28.06.2025 को उ0नि0 अमित कुमार वर्मा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राहुल चौहान पुत्र केशव चौहान निवासी मुहल्ला संग्रामपुर राजा उनवल थाना खजनी जनपद गोरखपुर उम्र करीब 21 वर्ष को चोरी की बाइक के साथ समय करीब 00.20 बजे बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

**\*गिरफ्तार अभियुक्तका विवरण:-\***

- 1- राहुल चौहान पुत्र केशव चौहान निवासी मुहल्ला संग्रामपुर राजा उनवल थाना खजनी जनपद गोरखपुर उम्र करीब 21 वर्ष

**\*बरामदगी का विवरण:-\***

- 1-चोरी की मोटरसाइकिल पैशन प्रो UP 50 Z 5154 बरामद

**\*पंजीकृत अभियोग-\***

- 1-मु0अ0स0-241/2025 धारा 303(2) BNS थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

**\*गिरफ्तारी करने वाली टीम-\***

1. उ0नि0 अमित वर्मा थाना जीयनपुर आजमगढ़
2. हे0का0 राजेश कुमार थाना जीयनपुर आजमगढ़
3. का0 अवधेश कुशवाहा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
4. का0 रोहित त्रिपाठी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
5. का0 दिनेश राम थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

